

ing their funds for development of infrastructure, are diverting these funds to the equity market and term-loan market. If it is so, can the Government do something about that?

SHRI SIKANDER BAKHT: Sir, I don't have any information with regard to diversion of funds.

MR. CHAIRMAN: This supplementary does not arise out of the main question. Anyway, Shri Prafull Goradia.

SHRI PRAFULL GORADIA: Sir, I will descend from the universal to the specific, from the macro to the micro, and request the hon. Minister to clarify whether the public sector units under the Ministry of Industry use a costing system called PADATA which is fractionalisation—it is an Indian version of fractionalisation of costing—which I understand enables to even cross more than 100 per cent utilisation of plant and machinery.

SHRI SIKANDER BAKHT: Oh God! I will have to get an understanding of encyclopaedia to answer this question. No, Sir, I have no idea of this sort.

MR. CHAIRMAN: Question No. 302, Shri D.P. Yadav.

भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु कार्यवाही

*302. श्री डी.पी. यादव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के सभी चौराहों पर और सारे देश में भिखारियों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में ये लोग अपराध भी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि दिल्ली तथा देश में अनेक स्थानों में अनेक भिखारी सक्रिय हैं जो सक्रिय हैं जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं तथा अपराध करने में भी संलग्न हैं।

(ग) भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्यवाही में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियमन, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में भिक्षावृत्ति निवारण के लिए प्रावधान तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भिक्षुक गृह की स्थापना शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी.पी. यादव : सभापति महोदय, आज भिक्षावृत्ति का रोग लाइलाज हो चुका है। चौराहे पर ..

श्री सभापति : आप सवाल कीजिए, जब सब को मालूम है।

श्री डी.पी. यादव : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से जानना चाहता हूँ कि अभी तक सरकार ने ऐसे कितने गिरोहों का पर्दाफाश किया है? जो लोग बच्चों को विकलांग बनाकर भीख मंगवाने का काम करते हैं, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, यह बता तो सही है कि ऐसी जानकारी अखबारों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से सुनने को मिलती है, पर अधिकृत रूप से ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिस के आधार पर यह कहा जा सके कि कोई ऐसे गिरोह है जो बच्चों को विकलांग कर के या उन्हें प्रताड़ित कर के उन से भीख मंगवाने का काम करते हैं।

श्री डी.पी. यादव : सभापति महोदय, पिछले दिनों एक उर्दू साप्ताहिक ने इस घटना को उद्घटित किया था कि मुंबई के सहार एअरपोर्ट पर 76 बच्चों को अरब कंट्रीज ने वापिस भेजा है जोकि वहां पर भीख मंगाने का काम करते थे और उन्होंने पत्रकारों को यह बयान दिया है कि कुछ ऐसे हाथ हमारे पीछे हैं जो कि नियोजित ढंग से दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए मजबूर कर वहां भेजते हैं। ऐसे ही 76 बच्चों को अरब देशों ने वापिस भेजकर मुंबई उतारा था और माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो यह तो सर्व-विदित है, ऑन रिकार्ड है। इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है जब कि सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर यह कहा जाता है कि दिल्ली में भिखारियों की संख्या करीब ढाई लाख है जिन में से एक लाख महिलाएं और बच्चे हैं? क्या सरकार के पास ऐसी कोई निश्चित जानकारी है कि अभी तक देश में भिखारियों की संख्या कहां तक पहुंची है और क्या सरकार उन के निवास या रोजगार की कोई व्यवस्था करने का इरादा रखती है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, सामान्यतः भिक्षावृत्ति रोकने का कार्य राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों का है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र के द्वार इस संबंध में एक स्कीम बनाई गई थी। उस स्कीम के तहत कुछ सुझाव देने की बात हो रही थी, पर उस समय नेशनल डवलपमेंट काउंसिल ने सुझाव दिया कि इस विषय को राज्य को स्थानांतरित किया जाए और चौथी योजना से पहले इस प्लान को राज्यों को सौंप दिया गया। महोदय, इस संबंध में करीब 19 राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों ने स्कीम बनाई हैं, योजना बनाई हैं। चूंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा है और कानून राज्य का विषय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि विभिन्न राज्यों में इसको उस हिसाब से जोड़ा गया है। यह विषय हमारे साथ एक सामाजिक रूप से भी जुड़ी हुआ है और कानून राज्य का विषय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि विभिन्न राज्यों में इसको उस हिसाब से जोड़ा भी गया है। यह विषय हमारे साथ एक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है। बहरहाल भिक्षा लेना अपराध है और इस संदर्भ में राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। हम इस बात से अवगत हैं कि दिल्ली जैसे कुछ प्रमुख नगरों में इसी प्रकार का चलन है। इस संदर्भ में एक सर्वे भी कराया गया था, जो कि हमने कुछ प्रमुख महानगरों में कराया था और यह महानगर हैं—आगरा, अजमेर, मुम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई और तिरुपति। इस अध्ययन में यह पता चला कि भिक्षावृत्ति के मुख्य कारण हैं—गरीबी, विकलांगता, वृद्धावस्था, निराश्रित, परिवारों का टूटना और परिवारों में बच्चों का उपेक्षित होना। इन अध्ययनों से यह संकेत मिला कि इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास मशीनरी नहीं है। वर्ष 1991 की सेन्सस में सर्वे हुआ था, केवल धुमन्तु के रूप में कुछ लोगों का जिक्र आया था और जिनकी संख्या करीब सवा पांच लाख थी। चूंकि यह विषय हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें एन.जी.ओ.स. अगर सक्रिय होकर आते हैं तो इससे लाभ भी मिलेगा और हम इस दिशा में कोई सार्थक कदम भी उठा पाएंगे। ऐसा मैं मानता हूँ।.....(धन्यवाद)....

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, the Central Government cannot put all the blame on the State Governments. The National Capital of Delhi is within the jurisdiction of the Union Government. It is a known sight if you go to Connaught Place and there are so many beggars and maimed persons begging at the road crossings. This is being done totally in connivance with the Delhi Police who are protecting the touts. We have laws preventing cruelty to ani-

mals but, I do not think, there is any law to prevent cruelty to the human beings. This is happening right in the National Capital. I want to know from the hon. Minister whether the Government would propose to bring some legislation. Not only those people who are begging should be held responsible but even law enforcing agencies in those areas, the Police and the Government Departments should also be held liable for this.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दिल्ली संघ क्षेत्र में भिक्षावृत्ति विरोधी कानून बना हुआ है और मैं यह समझता हूँ कि इसका एक सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा, अगर केन्द्र इसके ऊपर कोई सुझाव दे सके और हम कोई प्रतिक्रिया ला सकें ताकि भविष्य में इसको किस ढंग से रोका जाए, इसके लिए हम सबको मिलकर, बैठकर तय करना है क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमने यह जो तय किया है कि भीख मांगना अपराध है, पर भीख देना अपराध है यह अभी दिल्ली में तय नहीं है। अगर हम इसके बारे में भी तय करें तो मैं चाहूंगा कि सदन इसके ऊपर विचार करके फैसला करे और इसके बारे में सामूहिक चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने भीख मांगने के कई कारण बताए हैं, गरीबी और तमाम ऐसी बातें बताई हैं, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि बड़े-बड़े जो शक्तिमान लोग हैं, बड़े ग्रुप में भीख मांगते हैं। इसकी आपने कोई चर्चा नहीं की। इसका मतलब इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया है, जबकि चौराहों पर जो लोग भीख मांगते हैं, उसी प्रकार के लोग होते हैं, किसी के इशारे पर अपराध करते हैं, महिलाओं को यहां पर जान-बुझ कर रखा जाता है, रात को इस प्रकार से बहुत सौदे होते हैं, बच्चों को नंगा करके उनसे भीख मांगवाने का काम होता है। आप कहते हैं कि भिक्षावृत्ति को एक अपराध बना देना चाहिए और भिक्षा देने वाले के भी खिलाफ कानून होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि जब तक भिक्षुओं के लिए कोई पुनर्वास नहीं किया जाएगा, जब तक भिक्षुओं के लिए कोई पुनर्वास नहीं किया जाएगा, जब तक भिक्षुओं के रहने या उनके रोजगार के कोई उपाय नहीं किए जाएंगे तो क्या आप उनको सजा देकर भूखा मारना चाहते हैं? उनके लिए क्या करना चाहते हैं? इसके साथ साथ जो भिक्षा देने वाले हैं, उनके खिलाफ आप कौन सा कानून बनाएंगे, उनको किस प्रकार पकड़ने का आप काम कर सकते हैं? क्योंकि हर चौराहे पर, हर धार्मिक स्थान पर, हर जगह,

जहां कहीं आप देखें, पार्क में हो या सड़क पर, हर जगह भिक्षुक हैं और वह खुलेआम भीख मांग रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आजादी के पचास साल हो गए और अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं कर पाए और अब आप मिल बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसको आप किस प्रकार से रोकेंगे? आपके जो भिक्षुक केन्द्रों में अगर यह भिक्षुक चले जाते हैं तो उनको भूखा मारने का काम किया जाता है, आधा पेट खाना उनको दिया जाता है। गवर्नमेंट ने भिक्षुक केन्द्र बनाए हैं लेकिन उनमें उनकी इतनी दुर्दशा होती है कि वे वहां से भाग जाते हैं, गेट तोड़कर या चोरी से भाग जाते हैं। इसलिए भिक्षुक केन्द्रों को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहती हूँ।

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि संविधान में वह विषय राज्य और केन्द्रों सूची दोनों में कहीं नहीं है और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बता समझ में आती है। इन सारी बातों पर विचार करके हमने कानून मंत्रालय से इस पर राय ली थी और कानून मंत्रालय ने यह सलाह दी थी कि इस विषय को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए। उसके बाद भी इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास की हम लोगों ने योजना बनाई, योजना बनाकर राज्यों को सुझाव दिया और इसमें अनुदान देने की बात भी की। कुछ राज्यों ने इसको लागू किया और उसमें यह भी है कि वहां पर कुछ कार्यक्रम दिए जाएं। यह बात सही है कि जब हम कार्यक्रम देते हैं तो वह पर जो पहुंचता है, वह उस कार्य को नहीं करता है। बाल सुधार गृह भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो छोटे अपराधी बच्चे हैं, उनको इसमें रखा जाए, इसके लिए भी सहयोग दिया जाता है और मेरे पास ऐसी जानकारी है कि 1996-97 के आंकड़ों के अनुसार राज्य व संघ राज्यों क्षेत्रों के करीब 99 भिक्षुक गृहों की स्थापना की गई है। लेकिन इसके बावजूद हमारी माननीय सदस्या ने जो बात कही है, वह बहुत चर्चा में आती है।

हम चाहते हैं इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ऐसे कौन लोग हैं, कौन ऐसे तत्व हैं जो इस प्रकार भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देते हैं और फोर्स करते हैं और उनके हाथ-पैर तोड़कर और उनका शोषण करके इस काम को करवाते हैं। सरकार इसके लिए चिंतित है और राज्य सरकारों को इस बारे में सुझाव देती रहती है। अगर इस बारे में कोई स्पैसिफिक सुझाव होगा जिस पर

कार्यवाही हो सकती है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

DR. L.M. SINGHVI: Sir, it is very clear from the question as well as the answer that the situation is entirely unsatisfactory. The Central Government cannot plead *alibi* with regard to the State Governments alone being responsible. There is a national concern. There has to be a national blueprint and the Central Government must take an initiative to see to it that beggary is done away with and those who have to beg either by compulsion or by disposition are stopped from begging. A plan has to be prepared for rehabilitation. From the Second Five Year Plan till today much more water has flowed down the Ganges and very little has been done as a matter of national resolve, as a matter of a political will and as a matter of rehabilitation and amelioration of those conditions. It is a shame for the nation that we are still in that situation.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदय, मैं सहमत हूँ और यह बात सही है कि जब राज्यों को सुझाव दिया गया तो केवल 19 राज्यों ने इसके विरोधी कानून बनाए। अभी तक 7 राज्य और 4 संघ राज्य ऐसे हैं जहां पर ऐसा कानून नहीं है। इसके ऊपर मंत्रालय को बैठकर विचार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारा मंत्रालय इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। हम निरंतर इसके ऊपर प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं। आगे सबकी राय से बैठकर इस बारे में कोई सही योजना बनाई जाएगी।

श्री विजय जे.दर्डा : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि विकलांग बनाने की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, इसमें कौन से गिरोह काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अगर हम बंबई जैसे महानगर को ले लें और पूछताछ करें तो हमें यह जानकारी मिल सकती है कि किस ढंग से बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, स्कूल के बाहर से, गांवों से कितने बच्चों को उठाकर ले गए हैं अभी तक और उसके बाद उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनसे भीख मंगवाई जाती है और अगर एक निर्धारित रकम लाकर वे नहीं देते हैं तो उन्हें इतने बुरे ढंग से रखा जाता है कि देखा नहीं जा सकता। इतने बुरे ढंग से उनको वहां पर टॉर्चर किया जाता है और

सरकार यह पता नहीं कर सकती हैं कि ये कौन लोग हैं? यह बहुत आसान काम है क्योंकि वहां पर जो गिरोह हैं वे सक्रिय हैं और उसके बाद जो पैसा आता है उसमें पुलिस का 20 परसेंट हिस्सा होता है। हो सकता है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग परसेंटेज हो। यह इतना गंभीर विषय है कि बच्चों को देहातों से, गांवों से, कस्बों से उठाकर ले जाया जाता है लेकिन उसके बावजूद हमारे पास किसी प्रकार का कानून नहीं है या हम राज्य सरकारों को दोष देते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर सरकार को कानून बनाना चाहिए और इन्फॉर्मेशन तो निश्चित रूप से उनको मिल सकती है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए। यदि सदन चाहता है कि इसके ऊपर पूरे देश में एकसमान कानून बने और इसको एकसमान रूप से लागू किया जाए तो सदन इन पर विचार कर सकता है। हमारा मंत्रालय इस बात के लिए सहमत है।

श्री मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, प्रश्न जो है, यह कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय से नहीं किया गया है। प्रश्न किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय से लेकिन मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कानून को लागू करके भिक्षा लेना और भिक्षा देना बंद कर देंगे। ऐसे तो रिश्वत लेना और देना, दोनों बंद हैं लेकिन देश में रिश्वतबाजी चल रही है। जब आपने मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय मंत्रालय रखा है तो सामाजिक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। चाहे मंत्री उत्तर दे या अफसर, मूल प्रश्न यह था कि अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, जो नए-नए भिक्षुक बना रहे हैं, बच्चों को विकलांग कर रहे हैं और उनसे अपराध भी करवा रहे हैं। हम वहां से बहुत दूर हट गए।

महोदय, मंत्री महोदय कर रहे थे हमने सर्वेक्षण करवाया था। उसमें कहा गया कि गरीबी के कारण, अनाथ होने के कारण, भिक्षावृत्ति होती है लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि किसी को विकलांग किया जाता है, बच्चों के ऊपर जुल्म ढाया जाता है। जितनी भी स्कीमों में आप लागू करो, अगर वहां अपराधी गिरोह और जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस के लोग या शासन में भी कुछ लोग सक्रिय रहे तो जितने भी भिक्षुक निवास आप बनवाएं और जितनी भी स्कीम्स बनाएं, नए भिक्षुक बनाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको अगर आप सिर्फ कानून की नजर से देखेंगे तो

गलत होगा। आप खुद बोलेंगे कि उसका पालन नहीं हो रहा है और सरकार खुद कहती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है।

हमारा निवेदन है कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से कोई स्कीम बनाएं। जैसे आप कर्नाट प्लसे की बात कर रहे थे, वहां आप चैक कीजिए कि उनकी जो डिफॉर्मिटी है, वह कंजिनिट है, पैदायशी है, एक्सीडेंट से हुई है या करवाई गई है? क्यों नहीं ऐसा किया जाता है? आप अगर पोल्थूशन चैक कैप लगा सकते हैं कार के लिए तो आप कर्नाट प्लसे में कैप लगाकर उन बच्चों को मैडिकली टेस्ट कीजिए। क्या आप करेंगे ऐसा? उनकी जो डिफॉर्मिटी है वह उनके ऊपर लगाई गई है, बनवाई गई है या पैदायशी है या एक्सीडेंटल है, यह पता लगाइए। अगर नहीं है तो फिर होम मिनिस्ट्री से पूछताछ करके उसके सोर्स में पहुंचिए और फिर आप गिरोह को पकड़ेंगे। आप सब गिरोह को तो नहीं पकड़ पाएंगे पूरे देश में लेकिन एकाध गिरोह को अगर आप पकड़ पाए और उसके बारे में कार्यवाही कर सकते हैं तो कीजिए।

सभापति महोदय, भिक्षावृत्ति तब तक रहेगी जब तक गरीबी रहेगी और फूड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी लेकिन जो अपराध तत्त्व हैं और गिरोह हैं और शासन का वह हिस्सा जो बच्चों के ऊपर जुल्म करके डिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहे हैं और उनको भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे या नहीं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

† اشري محمد سليم: سہا پتی مہودے۔ سوال

جو ہے یہ قانون منترالیہ یا گرہ منترالیہ یا وت

منترالیہ سے نہیں کیا گیا ہے۔ سوال کیا گیا ہے

سماجک نیائے اور ادھیکار منترالیہ سے۔ لیکن

منتری مہودے نے جواب دیا کہ قانون کو لاگو کر

کے بھکشا لینا اور بھکشا دینا بند کر دینگے اسے تو

رشوت لینا اور دینا دونوں بند ہیں۔ لیکن دیش

میں رشوت بازی چل رہی ہے۔ جب آپ نے

[†] Transliteration in Arabic Script

منتزالیہ کا نام ساماجیک نیا ئے منتزالیہ رکھا ہے تو ساماجیک نظریہ بھی رکھنا چاہئے۔ چاہے منتزالیہ جواب دیں یا افسر۔ اصل سوال یہ تھا کہ اپرا دھنی گروہ سکریہ ہیں۔ جو نئے نئے ہکشک بنارہے ہیں بچوں کو وکلانگ کر رہے ہیں اور ان سے جرائم بھی کر رہے ہیں۔ ہم وہاں سے بہت دور ہٹ گئے۔

مہودے۔ منتزالیہ مہودے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سروے کروایا تھا اسمیں کہا گیا کہ غربی کی وجہ سے۔ انا تہ ہونے کی وجہ سے۔ ہکشک ورقتی ہوتی ہے لیکن اسمیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کو محتاج کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے جتنی بھی اسکیمیں آپ لاگو کرو۔ اگر وہاں اپرا دھنی گروہ اور جیسا ابھی ماننیہ سدسیہ کہہ رہے تھے کہ پولیس کے لوگ یا شاسن میں بھی کچھ لوگ سکریہ رہے تو جتنے بھی ہکشک نواس آپ بنائیں اور جتنی بھی اسکیمیں آپ بنائیں۔ نئے ہکشک بنانے کی پرکریہ چلتی رہیگی۔ اسکو اگر آپ صرف قانون کی نظر سے دیکھیں گے تو غلط ہوگا۔ آپ خود بولیں گے کہ اسکا پالن نہیں پورہا ہے اور سرکار خود کہتی ہے کہ قانون پالن

نہیں پورہا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے پالن نہیں پورہا ہے۔

ہمارا نویدن ہے کہ آپ سواستہ منتزالیہ۔ کھاد منتزالیہ۔ گرہ منتزالیہ اور دوسرے منتزالیوں کے ساتھ ملکر مجموعی طور پر کوئی اسکیم بنائیں۔ جیسے آپ کناٹ پولیس کی بات کر رہے تھے وہاں آپ چیک کیجئے کہ انکی جو ڈی فارمیٹی ہے وہ کنجینیٹل ہے۔ پیدائشی ہے یا ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے۔ کیول نہیں ایسا کیا جاتا ہے۔ آپ اگر پولیشن چیک کیمپ لگا سکتے ہیں کناٹ پولیس میں آپ کار کے لئے کیمپ لگا کر ان بچوں کو میڈیکل ٹیسٹ کیجئے۔ کیا آپ کرینگے ایسا۔ انکی جو ڈیفارمٹی ہے وہ انکے اوپر لگائی گئی ہے۔ بنوائی گئی ہے یا پیدائشی ہے یا ایکسیڈنٹل ہے پتا لگائیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہوم منسٹری سے پوچھ تاچہ کر کے اسکے سروس میں پہنچئے اور پھر آپ گروہ کو پکریں گے۔ آپ سب گروہ کو تو نہیں پکریں گے پورے دیش میں لیکن ایک آدھ گروہ کو اگر آپ پکریں گے اور اسکے بارے میں کارروائی کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ سہا پتی مہودے۔ ہکشک ورقتی تب تک رہے گی جب تک غربی رہے گی اور فوڈ سیکوریٹی اور سوشل سیکوریٹی

نہیں رہے گی لیکن جو اپر ادھی تتو ہیں اور گروہ
ہیں او ر شاسن کا وہ حصہ جو بچوں کے اوپر ظلم
کر کے ڈیفارمٹی پیدا کر رہے ہیں اور انکو بھیک
مانگنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں انکو آپ پکڑنے
کی کوشش کرینگے یا نہیں یہ میں آپ سے جاننا
چاہتا ہوں۔

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, हमारा देश
इतना बड़ा देश है कि वहां पर जैसा इन्होंने कहा कि इस
काम को एकदम रोकना संभव नहीं है(व्यवधान).....

श्री दीपांकर मुखर्जी : कनाट प्लेस से शुरु कीजिए,
हम आपके साथ हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : बहुत सवालों पर पार्लियामेंटरी
कमेटी बनाई जाती हैं। हम पांच सदस्य राज्य सभा से
देंगे, आप उनकी मदद लीजिए(व्यवधान).....

†**شری محمد سلیم :** بہت سوالوں پر پار
لیمنٹری کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ ہم پانچ ممبران
راجیہ سبھا سے دیں گے۔ آپ انکی مدد
لیجئے۔۔۔"مداخلت"۔۔۔

संतोष कुमार गंगवार : यह विषय कानून से ऊपर
उठकर समाज का विषय है और अगर समाज के लोग
इस पर बैठकर चिंता करेंगे तो सारे विभाग की बैठकर
बात करेंगे। मेरा निवेदन है कि जो लोग समाज की
जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि धार्मिक स्थानों पर और अन्य
स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या भिक्षुकों की मिलती है उन्हें
इस बारे में सोचना चाहिए। मैं भी यह मानता हूँ कि खाली
कानून के अंदर हम इसको सीमित नहीं कर सकते हैं।
अगर हम आंकड़े दें तो बहुत लंबे-चौड़े आंकड़े दे सकते
हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं संबंधित
मंत्री जी को सदन की भावना से अवगत कराऊंगा और
कहूंगा कि वे इस पर उचित कार्यवाही करें।

*303. [The questions (Shrimati Veena Verma
and Shri Akhilesh Das) were absent. For
answer vide Col. 44 infra]

†[Transliteration in Arabic Script]

Appointment of Regional Provident Fund Commissioner, Bihar

*304. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the
Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the post of Regional
Provident Fund Commissioner, Bihar, Patna, is
lying vacant for the last about one year and the
Regional P.F. Commissioner is in dual charge of
the Patna Regional P.F. office;

(b) whether it is also a fact that there is no
permanent Regional Provident Fund Commissioner,
Bihar, Patna, and much inconvenience is faced by
the subscribers of Bihar region; and

(c) if answers to parts (a) and (b) be in the
affirmative, by when a permanent Regional
Provident Fund Commissioner, in Bihar is going
to be posted?

THE MINISTER OF LABOUR (DR.
SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) A
Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The post of Regional provident Fund
Commissioner (RPFC) Bihar fell vacant on
1.4.1998. As per the Recruitment Rules, the
post is required to be filled by promotion failing
which by transfer on deputation. As there was no
select panel approved by the UPSC available to
fill the vacant post by departmental promotion,
the EPF Organisation decided to fill the vacancy
by transfer on deputation. The process of
selection has since been completed and necessary
order has been issued to the Selected Officer
on 10.9.98 to join the post of RPFC, Bihar.
The officer who has been selected for the post is
expected to join soon. During absence of the
regular incumbent, the RPFC, Uttar Pradesh has
been authorised to look after the day to day
work of the Bihar Region as well. No incidence
of inconvenience to the EPF subscribers in Bihar
has been reported by the EPF Organisation.